

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 382.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 3,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 एवं 3

केन्द्र प्रवर्तित नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 4

04 पॉलीटेक्निक संस्थाओं के व्याख्याताओं का मानदेय भुगतान किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 180.612 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,80,61,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 5 से 6

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना अंतर्गत बिजली प्रभार हेतु ₹ 115.00 लाख एवं दवाईयों मद में ₹ 2036.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 2151.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 21,51,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 से 8

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना अंतर्गत बिजली प्रभार हेतु ₹ 114.00 लाख एवं दवाईयों मद में राशि ₹ 664.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 778.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 7,78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना अंतर्गत ₹ 18000.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 180,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ₹ 600.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 11,12,13,14,15 एवं 16

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन हेतु हेतु ₹ 1176.20 लाख का व्यय संभावित है,

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,76,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 17

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मद अंतर्गत विभागीय भवनों के मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए अनुदान हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 18

कृषक उन्नति योजना हेतु ₹24000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹240,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19 एवं 20

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हेतु आकस्मिकता निधि से ₹200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 21

पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन हेतु ₹ 1854.36 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹18,54,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 7200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹72,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु ₹ 2236.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,36,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 7200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 72,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

शक्कर वितरण योजना हेतु ₹ 812.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,12,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान योजना हेतु ₹ 977.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹9,77,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 एवं 28

राईस फोर्टिफिकेशन हेतु ₹ 1706.88 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹17,06,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 29

05 एच पी के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान हेतु ₹ 26400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹264,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत अंतर्गत सब्सिडी हेतु ₹ 3923.68680 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹39,23,68,680 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

विद्युत कम्पनियों को सहायता हेतु ₹ 9000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 32

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूँजी अनुदान हेतु राशि ₹5136.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹51,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 33

महानदी परियोजना समूह अंतर्गत बांध तथा संलग्न निर्माण कार्यों के लिए 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 34

सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिये गये ऋण की अदायगी हेतु राशि ₹ 23000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 230,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 35

संचार क्रांति योजना मद हेतु ₹115.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।